जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई के दौरान ग्रामीणों का विरोध बढ़ा, पुलिस ने खदेड़ा

ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया, पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने के लिए हल्का बल प्रयोग किया

नागौर, (निसं)। जिले के सरासनी गांव में एक निजी कंपनी के विरोध में धरना दे रहे किसान और पुलिस बुधवार को आमने-सामने हो गए। जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई के दौरान ग्रामीणों का विरोध बढ़ गया। ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया तो पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने के लिए हल्का बल प्रयोग किया।

इस बीच कुछ लोगों ने एक खेत में आग लगा दी। घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस जाप्ता तैनात किया गया है। वहीं, इस घटना पर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए पुलिस लाठीचार्ज को निंदनीय बताया है।

जानकारी के मुताबिक जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई के विरोध में किसान 134 दिन से धरना दे रहे थे। इस बीच बुधवार को निजी कंपनी की ओर से हरिमा, सरासनी आदि गांव में जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही थी। इस बीच धरने पर बैठे ग्रामीणों का विरोध बढ़ गया। ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया तो पुलिस ने भी लोगों को खदेड़ने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। कुछ लोगों ने खेत में आग लगा दी।

सरासनी गांव में जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई के दौरान ग्रामीणों के विरोध करने पर पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने के लिए हल्का बल प्रयोग किया।

घटना के बाद मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। जानकारी के अनुसार कि कंपनी की ओर से हरिमा, सरासनी आदि गांव में जमीन खरीदी गई है। सरासनी के किसानों का आरोप है कि उनकी जमीनें 8 लाख रुपए प्रति बीघा में खरीदी गई और सही कीमत नहीं दी। इसी को लेकर यह धरना चल रहा था। कंपनी ने बुधवार को काम शुरू किया तो विवाद बढ़ गया।

जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने बुलाई बैठक :- इस पूरे मामले के बाद नागौर जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में कंपनी और विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के प्रतिनिधि मंडल को बुलाया गया है। किसान इस बात पर अड़े हैं कि जमीनों के जो पैसे हैं उनके दाम बढ़ाकर दिए जाएं, फिलहाल पूरे मामले में जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित नजर बनाए हुए हैं।

- **कुछ लोगों ने एक खेत में आग लगा दी, मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, पुलिस जाप्ता तैनात**

पुलिस जाप्ता तैनात:- जायल डिप्टी खेमाराम बिजारणियां ने बताया कि कंपनी के काम शुरू करने के दौरान पुलिस भी मौजूद रही। किसानों ने विरोध किया और पत्थरबाजी हो गई। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। इसी बीच कुछ लोगों ने एक खेत में आग भी लगा दी। घटना के बाद सरासनी गांव में भारी पुलिस जाप्ता तैनात किया गया है।

मकान तोड़ने के मामले में हाईकोर्ट की रोक

जोधपुर, (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने जालोर जिले में राजपूत समाज के लोगों के मकान तोड़ने पर रोक लगा दी है। कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई की गई थी जिसमें लक सिंह, देवी सिंह और मोहन सिंह की ओर से याचिका दायर की गई थी। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से निखिल भंडारी ने पैरवी की।

ग्राम डूड़सी निवासी लखसिंह, देवीसिंह व मोहनसिंह ने राजस्थान हाईकोर्ट में एक रिट याचिका तथा स्थगन प्रार्थना-पत्र एडवोकेट निखिल भण्डारी के मार्फत पेश किया था। एडवोकेट निखिल भण्डारी ने बहस करते हुए हाईकोर्ट को यह बताया कि प्रार्थी कई पीढ़ियों से ग्राम डूड़सी के खसरा नम्बर 655 में पिछले 60 वर्षों से निवास कर रहे हैं। उनके पास जमीन की जमाबन्दी तथा नक्शा भी मौजूद हैं। वे भूमि की बीगोड़ी/टैक्स भी सम्बन्धित विभाग में जमा कराते हैं, जिसकी सनद भी जारी हो चुकी है। एडवोकेट निखिल भण्डारी ने बहस करते हुए यह भी बताया कि उन्होंने रिट याचिका के साथ प्रार्थीगणों के पुराने पक्के मकान के फोटो भी प्रस्तुत कर रखे हैं, लेकिन जालोर तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारी व जिला कलेक्टर प्रार्थीगणों के निर्माण तोड़कर उन्हें बेघर व बेकब्जा करना चाहते हैं, जो कि अनुचित व अवैध है। एडवोकेट निखिल भण्डारी ने हाईकोर्ट से यह अनुरोध किया कि अप्रार्थीगणों को ऐसा करने से रोका जाए। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर ने सुनवाई के बाद अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी कर लखसिंह, देवीसिंह व मोहन सिंह के मकान व निर्माण को तोड़ने व उन्हें बेकब्जा करने पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगा दी।

अफीम का दूध जप्त, एक बदमाश गिरफ्तार

उदयपुर, (निसं)। शहर के प्रतापनगर थाना पुलिस ने तीन लाख रूपये का अवैध अफीम दूध जब्त कर एक आरोपी को गिरपतार किया है।

जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा, पुलिस उप अधीक्षक छगन राजपुरोहित के सुपरविजन में प्रोबेशनर आईपीएस माधव उपाध्याय व प्रतापनगर थानाधिकारी भरत योगी के नेतृत्व में गठित दल ने आसूचना के सहयोग से देबारी क्षैत्र से शंभूसिंह पुत्र भंवरसिंह निवासी नला फला देबारी प्रतापनगर को गिरफ्तार कर इसके कब्जे से तीन लाख रूपये मूल्य का अवैध मादक पदार्थ अफीम दूध जब्त कर प्रकरण दर्ज किया।

राजस्थान IV 4ए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
(पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की 100% पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)
बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016

सूचना

(विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (2) के तहत)

1. **राजस्थान IV 4A पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016** में है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित है, ने केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, नई दिल्ली के समक्ष विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (1) के तहत पारेषण लाइनों, उप-स्टेशनों और अन्य परिसंपत्तियों के संबंध में ट्रांसमिशन लाइसेंस प्रदान करने के लिए एक आवेदन किया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	लाइन/सबस्टेशन का नाम (नोट के अनुसार स्थान)	बीपीसी की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार लाइन की लंबाई/क्षमता	वार्षिक ट्रांसमिशन शुल्क (आईएनआर) मिलियन प्रति वर्ष	कमीशनिंग शेड्यूल	टिप्पणी
1.	765/400 केवी घिरोर (जिला मैनपुरी) सब-स्टेशन और संबंधित उपकरण।	3000 एमवीए, 730 एमवीएआर (बीआर) 1380 एमवीएआर (एसएलआर)	5979.29	असरदार तारीख यानी 30.12.2024 से 24 महीने	
2.	बाड़मेर-I पूलिंग सब-स्टेशन पर संवर्द्धन कार्य संबंधित खण्डों के साथ	5500 एमवीए			
3.	स्टेटकॉम (2x±300 एमवीएआर) के साथ एमएससी (4x125 एमवीएआर) और एमएसआर (2x125 एमवीएआर) के साथ-साथ बाड़मेर-I पीएस में 2 नग 400 केवी बे	600 एमवीएआर			
4.	400 केवी फतेहगढ़-IV पीएस (सेक्शन-2)-बाड़मेर-I पीएस डी/सी लाइन (क्वाड)	39.588 किमी			
5.	फतेहगढ़-IV पीएस (सेक्शन-2) पर 2 नग 400 केवी लाइन बे				
6.	765 केवी दौसा-घिरोर डी/सी लाइन	283.046 किमी			
7.	घिरोर एस/एस पर 765 केवी अलीगढ़ (पीजी)-उरई (पीजी) डी/सी लाइन के दोनों सर्किट का एलआईएलओ	34.83 किमी			
8.	घिरोर में 765 केवी आगरा (पीजी)-फतेहपुर (पीजी) 2xएस/सी लाइन के एक सर्किट का एलआईएलओ	26.137 कि.मी			
9.	400 केवी घिरोर-फिरोज़ाबाद (यूपीपीटीसीएल) डी/सी लाइन (क्वाड)	43.281 कि.मी			
10.	दौसा एस/एस पर 2 नग 765 केवी लाइन बे	480 एमवीएआर (एसएलआर)			
11.	फिरोजाबाद (यूपीपीटीसीएल) एस/एस में 2 नग 400 केवी लाइन बे				

नोट: (i) तत्व 1, 7,8, 9, और 11 के स्थान उत्तर प्रदेश राज्य में हैं; तत्व 2,3,4,5 और 10 का स्थान राजस्थान में है, और तत्व 6 का स्थान उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों में है।
(ii) पूर्ण दायरे के लिए कृपया **https://www.powergrid.in@subsidiaries** पर जाएं

2. आयोग के समक्ष दायर पूर्ण आवेदन और अन्य दस्तावेज पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट **https://www.powergrid.in/subsidiaries** पर किसी भी व्यक्ति द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध हैं। आवेदन का निरीक्षण कंपनी के सी/ओ ईडी (टीबीसीबी), पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सौदामिनी, प्लॉट नंबर 2, सेक्टर-29, गुड़गांव 122001 में, श्री प्रेम प्रकाश राय, परियोजना प्रभारी, राजस्थान IV 4ए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड या आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार आयोग का कार्यालय के साथ भी किया जा सकता है।
3. आपत्ति या सुझाव, यदि कोई हो, आवेदक या उसके अधिकृत एजेंट, अखबार में नोटिस के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर सचिव, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, 7 वीं मंजिल, टावर बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली-110029 के समक्ष आपत्ति (ओं)/सुझाव (ओं) की एक प्रति के साथ दायर किया जाना चाहिए।

श्री प्रेम प्रकाश राय,
परियोजना प्रभारी,
राजस्थान IV 4ए पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड

स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 09.01.2025

कोचिंग छात्र के बैंक खाते में फ्रॉड राशि का लेनदेन, मामला दर्ज

श्रीगंगानगर, (निसं)। कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले एक छात्र के बैंक खाते का दुरुपयोग कर इसमें फ्रॉड की राशि के लेनदेन का मामला साइबर थाने में दर्ज हुआ है। कोचिंग स्टूडेंट को लोन दिलाने के बहाने उसके एक दोस्त ने उससे डॉक्यूमेंट लिए। बाद में लोन की प्रोसेस पूरी करने के नाम पर खाते की पास बुक और एटीएम आदि अपने पास रख लिए। पीड़ित स्टूडेंट के मोबाइल नंबर की जगह अपना नंबर अपडेट करवा लिया और साइबर फ्रॉड की राशि का लेनदेन खाते में कर दिया। कोचिंग स्टूडेंट को अपने साथ हुए धोखे का तब पता तब लगा जब उसे हरियाणा पुलिस से मिली टेलीफोन कॉल से उसके खाते में फ्रॉड राशि के लेनदेन का पता लगा। इस पर उसने साइबर थाने में मामला दर्ज करवाया।

पीड़ित स्टूडेंट ने बताया कि वह शहर के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ता है। पढ़ाई के दौरान उसकी पहचान एक साथी स्टूडेंट से हुई। वह उसके किराए के कमरे पर आने जाने लगा। इसी दौरान पास के गांव में रहने वाली पीड़ित की बहन ने उसे अपने घर रहने का ऑफर दिया। इसे पीड़ित ने मान लिया। पीड़ित ने बताया कि उसे कोचिंग इंस्टीट्यूट से शहर से करीब तीन किलोमीटर दूर गांव आने जाने के लिए बाइक की जरूरत थी। उसने इस संबंध अपने साथी स्टूडेंट से बात की। उसके साथी स्टूडेंट ने उसे लोन का काम करने वाले एक व्यक्ति से मिलवाया। पीड़ित के साथी स्टूडेंट ने उसे कहा कि लोन के लिए उसका बैंक खाता खुलवाना जरूरी है। वह इसके लिए पीड़ित को मीरा चौक स्थित बैंक में ले गया। वहां उसका खाता खुलवाया और लोन प्रोसेस करवाने के नाम पर उसकी बैंक पास बुक, एटीएम कार्ड आदि अपने पास रख लिए। बाद में आरोपी साथी स्टूडेंट ने पीड़ित को बताया कि उसके मोबाइल नंबर पर लोन से जुड़े ओटीपी नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे में बैंक खाते में मोबाइल नंबर बदलना होगा। आरोपी ने पीड़ित के मोबाइल नंबर की जगह अपना बताया एक मोबाइल नंबर पीड़ित के बैंक खाते में अपडेट करवा दिया। इसके बाद आरोपी में इसमें फ्रॉड की राशि का लेनदेन करने लगा। पीड़ित ने बताया कि पिछले दिनों उसे हरियाणा पुलिस से आए फोन कॉल से उसके खाते का दुरुपयोग होने की जानकारी मिली। पुलिस ने उसके खाते से बड़ी राशि का लेनदेन होने की जानकारी दी। इस पर उसे अपने साथ हुए धोखे का पता लगा।

- **दोस्त ने धोखे से बैंक अकाउंट खुलवाया, मोबाइल नंबर बदलकर की धोखाधड़ी**

जैसलमेर में पर्यटन व्यवसायी के शोरूम में जीएसटी की रेड

बताया जा रहा है कि जीएसटी चोरी की शिकायतों को लेकर टीम सर्वे कर रही है

जैसलमेर, (नि.सं.)। जैसलमेर शहर स्थित जैसलमेर आर्ट एंड क्राफ्ट के शोरूम में बुधवार को एसजीएसटी की टीम ने दबिश दी। बताया जा रहा है कि जीएसटी चोरी की शिकायतों को लेकर टीम सर्वे कर रही है।

स्टेट जीएसटी जैसलमेर की सीटीओ पंकज पंवार के नेतृत्व में टीम शोरूम पहुंची और सर्वे की कार्रवाई शुरू की। टीम शोरूम में बिना बिलों के बेचे जा रहे माल की शिकायत पर आई है। टीम बिलों और काग़ज़ों की पड़ताल कर रही है। जांच के दौरान शोरूम के स्टॉफ को अंदर-बाहर नहीं होने दिया गया। गौरतलब है कि सोनार किले की पार्किंग में स्थित जैसलमेर आर्ट एंड क्राफ्ट शोरूम में हैंडीक्राफ्ट के आइटम की बिक्री होती है। पिछले दिनों जैसलमेर में लगी सैलानियों की भीड़ में जैसलमेर में काफी बिजनेस हुआ है। सैलानियों ने जमकर ख़रीदारी की है। शहर के वरिष्ठ नागरीक प्रेमनारायण ने बताया कि पर्यटन व्यवसाय में लगे चांदी के जेवर बेचने वाले सालाना करोड़ों रूपये की जीएसटी की चोरी कर रहे हैं, परन्तु विभाग नींद में सो रहा है।

जानकारी के अनुसार शोरूम में जीएसटी चोरी की शिकायतों को लेकर और जीएसटी बिलो में हेराफेरी को लेकर स्टेट जीएसटी की टीम पहुंची है और सर्वे कार्य देर शाम तक जारी है। शहर में जीएसटी टीम की दबिश को लेकर व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ दिखा।

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
रेल्वे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर - 342001

क्रमांक :-जोविप्रा/2024-25/जोन मुख्यालय/2075 दिनांक : 07.01.2025

:: ई-निविदा सूचना संख्या -मुख्यालय/36 & 37/2024-25 ::

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की ओर से इच्छुक व्यक्ति/फर्म/संस्था (निविदा सूचना सं. 36/2024-25) तथा प्राधिकरण एवं राजकीय विभाग में उपयुक्त श्रेणी मे पंजीकृत संवेदक जिनका पंजीयन 2 वर्ष की अवधि में पुनरावलोकन (Review) किया हुआ हो एवं फर्मो (निविदा सूचना सं. 37/2024-25) से निर्धारित प्रपत्र मे ई-प्रोक्युरमेन्ट प्रकिया से ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। इन कार्य की अनुमानित लागत, निविदा बेचे जाने तथा प्राप्त करने की दिनांक, निविदा, शर्ते आदि सम्पूर्ण विवरण वेबसाईट www.jodhpurjda.org, www.eproc.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.raj.nic.in पर देखी जा सकती है।
UBN No. :-JOD2425GSOB00309, JOD2425WSOB00308
राज.संवाद/सी/24/10037 अधिशाषी अभियंता

कार्यालय नगर विकास न्यास, पाली
जिला कलेक्ट्रेट परिसर, पाली
फोन नं. 02932-223222 ई मेल- uitpali@gmail.com

क्रमांक : न्या.पा./विज्ञापन/2025/2263 दिनांक : 07.01.2025

ई-निविदा सूचना संख्या-30/2024-25

नगर विकास न्यास, पाली की और से न्यास/राजकीय विभाग में नियमानुसार उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्योरमेन्ट प्रक्रिया से सिविल कार्यों हेतु ऑन-लाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती है, इन कार्यो की अनुमानित लागत, निविदा बेचे जाने तथा प्राप्त करने की दिनांक, निविदा शर्ते आदि सम्पूर्ण विवरण http://eproc.rajasthan.gov.in, sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है तथा न्यास कार्यालय, पाली में कार्य दिवस के दौरान भी देखी जा सकती है।

कार्य	यू.बी.एन नम्बर (sppp.rajasthan.gov.in)
सिविल कार्य	ITP2425WSOB00047

राज.संवाद/सी/24/10035 अधिशाषी अभियन्ता

कार्यालय नगर परिषद, जालोर (राजस्थान)

क्रमांक : नपजा/विकास/2024-25/5526 दिनांक : 02.01.2025

:: ई-निविदा सूचना 08/2024-25 ::

यत् नगर परिषद जालोर द्वारा निम्नांकित स्थानों पर सिविल निर्माण व ठोस कचरा प्रबंधन कार्य हेतु उपर्युक्त श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार एवं मान्यता प्राप्त यथा: नगर निगम/परिषद/पालिका एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत अनुभवी संवेदकों से निर्धारित प्रपत्रों में E-Procurement प्रकिया द्वारा ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा कार्य एवं ई-निविदाओं के संबंधित विवरण वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in डाउनलोड व अपलोड एवं www.sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किये जा सकते है।

S.N.	Work no.	NIB No.
1	2	DLB2425A4713

प्रशासक नगर परिषद, जालोर — आयुक्त नगर परिषद, जालोर
राज.संवाद/सी/24/10024

कृषि अनुसंधान केन्द्र, बांसवाड़ा
(महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर)
दाहोद रोड़, बोरवट फार्म, बाँसवाड़ा (राज.) 327001
Mo. No. 9413044271 / 8209938201 Mail ID: zdr_arsb@yahoo.com, Visit us : www.mpuat.ac.in
क्रमांक : एफ( )/कृअके/2024-25/152-156 दिनांक 04.01.2025

निविदा सूचना (2024-25)

कृषि अनुसंधान केन्द्र, बांसवाड़ा के लिये कृषि कार्य हेतु पंजीकृत संवेदक/ ठेकेदार से अपेक्षित अनुभव क्षमताओं के साथ मासिक कार्य / कार्यानुसार हेतु खुली निविदाएं बंद लिफाफों में आमन्त्रित की जाती है। पंजीकृत संवेदक/ठेकेदारों को तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग सील बन्द लिफाफों में देनी होगी। निविदा प्रारूप, सम्पूर्ण नियम एवं शर्ते विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mpuat.ac.in एवं www.sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते है। निविदा प्रारूप प्राप्ति की अन्तिम तिथि 15.01.2025 दोपहर 1.00 बजे तक रहेगी। उक्त निविदायें उसी दिन दोपहर 2.00 बजे तक जमा की जाकर अपरान्ह 2.30 बजे कमेटी की उपस्थिति में खोली जावेगी। निविदा प्रारूप जमा करवाते समय कार्य के सामने वर्णित निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि जमा करवानी होगी।

कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रू.)	धरोहर राशि (रू.)	निविदा शुल्क (रू.)
कृषि अनुसंधान केन्द्र, बोरवट फार्म बांसवाड़ा पर मक्का बीज उत्पादन कार्यक्रम में कृषि कार्य।	2,31,400/-	5000/-	500/-

संभागीय निदेशक अनुसंधान

भाइयों से मारपीट करने के दो फरार आरोपी गिरफ्तार

डूंगरपुर, (निसं)। कोतवाली थाना पुलिस ने मारपीट के मामले में फरार चल रहे दो इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने शराब के लिए पैसे नहीं देने पर दो भाइयों को मारपीट कर घायल कर दिया था। दोनों बदमाश करीब तीन माह से फरार चल रहे थे। वहीं दोनों पर पांच-पांच हजार का इनाम घोषित था।

कोतवाली थाने के सीआई ने बताया कि साबली निवासी सुनील डोडा ने रिपोर्ट में बताया था कि 12 अक्टूबर 2024 को वह और उसका भाई गलंदर में आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता से डूंगरपुर की तरफ आ रहे थे। इस दौरान नवाडेरा के पास अज्ञात बदमाशों ने उन्हें रोककर उनसे शराब के लिए पैसे मांगे,लेकिन जब उन्होंने पैसे देने से मना किया तो बदमाशों ने दोनों के साथ मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। दोनों भाई जैसे-तैसे अपनी जान बचाकर वहा से बच निकले थे।

- **शराब के लिए पैसे नहीं देने पर घायल किया था**

पुलिस ने पीडित की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाशी की,लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस ने बोरी गांव निवासी मनीष पुत्र ईश्वरलाल गमेती और रवि पुत्र मोहनलाल आमलिया को गिरफ्तार किया। पुलिस मामले में दोनों ही आरोपियों से पूछताछ कर रही है।

घर के बाहर खेल रहे पांच साल के बच्चे का अपहरण

श्रीगंगानगर, (निसं)। यहां आर्किटेक्ट के पांच साल के बेटे का किडनैप हो गया। बाइक सवार बदमाश बच्चे को बीच में बैठाकर ले गए। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें बदमाश बच्चे को ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके आधार पर सदर थाना पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। नाकाबंदी भी कराई गई है।

जानकारी के अनुसार रामदेव कॉलोनी की गली नंबर 9, 5-ई छोटी निवासी रुद्र (5) बुधवार सुबह करीब 11:30 बजे दादा के साथ घर के बाहर खेल रहा था। दादा एक मिनट के लिए घर के अंदर गए। इस दौरान बाइक पर दो बदमाश आए और बच्चे को उठाकर बाइक पर ले गए। जब दादा वापस बाहर आए तो रुद्र उन्हें गायब मिला। हड़कंप मचने पर परिजन बाहर आए और पुलिस को इसकी सूचना दी। अपहरण के करीब एक से डेढ़ घंटे बाद बच्चे के दादा भारत भूषण समरसोत (55) के मोबाइल फोन पर एक वीडियो फुटेज प्राप्त हुआ। इसमें बच्चा खेत में मिट्टी में खेलता नजर आ रहा है। पुलिस इसी आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है।

एसपी गौरव यादव ने बताया कि प्रथमदृष्टया बच्चे का अपहरण किसी परिचित के करने की आशंका है। अपहरण के समय आसपास मौजूद लोगों का कहना था कि बच्चे को जिस तरह से दो युवक लेकर गए, उससे ऐसा नहीं लगता है कि वे बच्चे से परिचित नहीं थे। दादा भारतभूषण समरसोत का कहना है कि उनका किसी से कोई बैर नहीं है, न ही किसी ने फिरौती के लिए कॉल किया है। रुद्र के पिता करण समरसोत (30) रामदेव कॉलोनी स्थित घर में ही रुद्र आर्किटेक्ट एंड कंसल्टेंट फर्म चलाते हैं। रुद्र की छोटी बहन कनु छह महीने की है। जब बच्चे का किडनैप हुआ, तब मां प्रियंका (25), पिता करण और छोटी बहन घर के अंदर ही थे।

- **बाइक पर आए थे दो बदमाश, दादा के मोबाइल पर बच्चे का फुटेज भेजा**
- **'प्रथमदृष्टया बच्चे का अपहरण किसी परिचित के द्वारा करने की आशंका है'**

जयपुर विकास प्राधिकरण

ई-नीलामी
जनवरी-II एवं फरवरी-I, 2025
307 भूखण्ड/दुकान/गोदाम

68 व्यावसायिक भूखण्ड
34 लोहा मण्डी मांचेड़ा फेज-1, जयपुर
01 जस्टिस दौलतमल भण्डारी नगर, जयपुर RERA Regi. No. RAJ/P/2022/1849
03 वेस्ट वे हाईट्स स्कीम, जयपुर
09 शौर्य नगर स्कीम, जयपुर
03 ट्रांसपोर्ट नगर, जयपुर
04 रियासत रेज़िडेंसी जयपुर RERA Regi. No. RAJ/P/2022/2033
01 कृष्णा सरोवर, जयपुर
02 न्यू आतिश मार्केट स्कीम, जयपुर
01 मोजी विहार जयपुर
01 रियासत टाउन ग्रीन स्कीम, जयपुर RERA Regi. No. RAJ/P/2022/2092
02 लालकोठी स्कीम, जयपुर
04 इंस्टिट्यूशनल स्कीम, ग्राम-देहमीकलां, जयपुर
01 गोल्डन रेजिडेंसी स्कीम, जयपुर RERA Regi. No. RAJ/P/2023/2595
01 हरित विहार स्कीम, जयपुर
01 वीआरबी पर्ल एन्क्लेव स्कीम, जयपुर RERA Regi. No. RAJ/P/2022/1799

156 मिश्रित भू-उपयोग भूखण्ड
17 रिंग रोड प्रोजेक्ट ग्राम-खटवाड़ा, जयपुर
12 रिंग रोड ग्राम-सीताराम पुरा योजना, जयपुर
09 रिंग रोड परियोजना ग्राम- अजयराजपुरा, जयपुर
09 रिंग रोड प्रोजेक्ट ग्राम-अचरावाला, जयपुर
31 रिंग रोड प्रोजेक्ट ग्राम-मुहाना, जयपुर
13 रिंग रोड प्रोजेक्ट ग्राम-पीपला, जयपुर
06 रिंग रोड परियोजना ग्राम-श्यामपुरा बुहारिया, जयपुर
21 रिंग रोड परियोजना ग्राम-अभयपुरा, जयपुर
02 रिंग रोड परियोजना, ग्राम-खोड़ी गोकुलपुरा, जयपुर
01 रिंग रोड परियोजना, ग्राम-सूरजपुरा जयपुर
10 रिंग रोड ग्राम-जयसिंहपुरा बुहारिया योजना, जयपुर
07 रिंग रोड परियोजना ग्राम-चिमनपुरा, जयपुर
03 रिंग रोड परियोजना ग्राम-शिवदासपुरा, जयपुर
04 रिंग रोड परियोजना ग्राम-महापुरा, जयपुर
04 रिंग रोड परियोजना ग्राम -सिरौली, जयपुर
01 रिंग रोड परियोजना, ग्राम-रातल्या, जयपुर
01 रिंग रोड प्रोजेक्ट ग्राम कानड़वास, जयपुर
01 रिंग रोड परियोजना ग्राम-मनोहरियावाला, जयपुर
04 मेट्रो एन्क्लेव, जयपुर RERA Regi. No. RAJ/P/2019/1133

60 आवासीय भूखण्ड
02 निलय कुंज फेज-II, जयपुर RERA Reg. No. RAJ/P/2019/937
01 निलय कुंज जयपुर
03 कल्पना नगर, जयपुर
01 ग्राम-हरगुन की नांगल उर्फ चारणवाला तह. सांगानेर योजना, जयपुर
22 शांति नगर, जयपुर RERA Regi. No. RAJ/P/2023/2517
08 स्वर्ण विहार, जयपुर
02 आनंद विहार योजना, जयपुर
01 पत्रकार कॉलोनी, जयपुर
03 लोहामंडी मचेढा फेज-I, जयपुर
09 रोहिणी नगर-I, जयपुर
01 विद्याधर नगर सेक्टर-9 योजना, जयपुर
05 ग्राम-सवाई गैटोरे तह. सांगानेर, जयपुर
01 ग्राम-सिरसी, जयपुर
01 शौर्य नगर योजना, जयपुर

03 दुकान
03 एसएमएस अस्पताल को ट्रॉमा सेंटर जयपुर से जोड़ने के लिए अंडरपास

01 इंस्टीट्यूशनल
01 रामचन्द्रपुरा, योजना, जगतपुरा, जयपुर

06 फार्म हाउस भूखण्ड
06 गोविंदपुरा रोपड़ा योजना, जयपुर

04 ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड
02 ग्रुप हाउसिंग योजना ग्राम-गोनेर, जयपुर
01 हरित विहार योजना, जयपुर
01 मानपुरा टीलावाला योजना, जयपुर

01 रिसॉर्ट
01 निलय कुंज फेज-II, जयपुर RERA Reg. No. RAJ/P/2019/937

01 रेस्टोरेंट/कैफेटेरिया
01 निलय कुंज फेज-II, जयपुर RERA Reg. No. RAJ/P/2019/937

02 सर्विस यार्ड (टाईप-ए)
02 ट्रांसपोर्ट नगर सीकर रोड, जयपुर

02 सर्विस यार्ड (टाईप-बी)
02 ट्रांसपोर्ट नगर सीकर रोड, जयपुर

03 गोदाम (टाईप-बी)
03 ट्रांसपोर्ट नगर सीकर रोड, जयपुर

राज.संवाद/सी/24/10044

भूखण्डों की अधिक जानकारी के लिए कॉल करें: +91 9462-569-696
रेरा वेबसाईट: http://rera.rajasthan.gov.in
अधिक जानकारी के लिए QR कोड स्कैन करें
नीलामी की नियम व शर्तों के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट
www.jda.rajasthan.gov.in
इंदिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर- 302004